

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2022/808

दिनांक : 27/12/22

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित विभिन्न आवासीय योजनाओं में अधिशेष निर्मित आवासों/फ्लैटों/दुकानों को त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए लागत में राहत प्रदान करने हेतु मण्डल की समस्त योजनाओं में ई-ऑक्शन/बुधवार नीलामी के पश्चात् शेष बचे आवासों/फ्लैटों/दुकानों जिनको ई-बिड-सबमिशन में सम्मिलित किया गया था। जिनकी दिनांक 01.10.2021 से 07.11.2021 तक स्थिर करने एवं मण्डल की 11 योजनाओं को छोड़कर शेष समस्त आवासीय योजनाओं में ई-ऑक्शन/बुधवार नीलामी उत्सव के पश्चात् शेष बचे निर्मित आवास/फ्लैटों/दुकानों को जिनको ई-बिड-सबमिशन में सम्मिलित किया जाना है उन सभी अधिशेष निर्मित आवासों/फ्लैटों/निर्मित दुकानों जिनकी लागत वैधता 30-09-2021 तक निर्धारित की गयी थी। उनकी वर्ष 2021-22 में निर्धारित की गयी लागत दरों को कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए सभी निर्मित अधिशेष आवासों/फ्लैटों/निर्मित दुकानों की लागत वैधता आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2021/798 दिनांक 22-11-2021 के द्वारा शेष अवधि दिनांक 08-11-2021 से दिनांक 30 जून 2022 तक स्थिर कर दी गयी थी।

मण्डल के संचालक मण्डल की 248 वीं बैठक दिनांक 22-12-2022 में निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 248.12 रखा गया। बैठक में प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के निर्मित अधिशेष आवासों/फ्लैटों/दुकानों जिनको आमजन को किराया क्रय पद्धति में आवंटन/निस्तारण हेतु ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित किया गया था उनमें से शेष बचे निर्मित आवासों/फ्लैटों/दुकानों की लागत 30-06-2022 तक स्थिर करने हेतु लिए गये निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
24. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
25. उप आवासन आयुक्त, मुख्यालय, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., रा0आ0म0, (समस्त)
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0,
7. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
8. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक